



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिष्ठा से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1985/अग्रहायण 1, 1907

No. 556]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1985/AGRAHAYANA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1985

का. आ 842 (अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 74  
क खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत  
सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में आग और मशोधन करने  
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

- (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन)  
एक सौ छिहत्तरवा नियम, 1985 है ।
- (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय  
अनुसूची में,—

- (1) शीर्षक “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” के अन्तर्गत  
उप-शीर्षक “घ संस्कृति विभाग” के अन्तर्गत प्रविष्टि

1136 GI/85

45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,  
अर्थात् —

“45(1) सघ सूची की प्रविष्टि 60, अर्थात्, “प्रदर्शन  
के लिए चलचित्र फिल्मों की मसूरी” के अधीन  
विधायन ।

(2) चलचित्र अधिनियम, 1952 का, उसके  
भाग 3 के सिवाय, प्रशामन ।”

2 शीर्षक “सूचना और प्रसारण मंत्रालय” के अन्तर्गत  
प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,  
अर्थात् —

“6 जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, चलचित्र  
अधिनियम, 1952 के भाग 3 का प्रशामन ।” ।

जैत सिंह,  
राष्ट्रपति

[74/2/1/85-मंत्र ]

अनिल कुमार, सयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.O. 842(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the 22nd November 1985.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the following table—

- (1) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", under sub-heading "D. DEPARTMENT OF CULTURE (SANS-

KRITI VIBHAG)", for entry 45, the following entry shall be substituted, namely:—

- "45. (i) Legislation under entry 60 of the Union List, viz., "Sanctioning of Cinematograph films for exhibition"
- (ii) Administration of the Cinematograph Act, 1952 except Part III thereof",
- (2) under the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHNA AUR PRASARAN MANTRALAYA)" for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—
- "6. Administration of Part III of the Cinematograph Act, 1952 in so far as Union territories are concerned."

ZAIL SINGH

President

[No. 74/21/85-Cab.]

ANIL KUMAR, Jt. Secy